"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013—आश्विन 5, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 6-21/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय डॉ. दुर्गाशरण चन्द्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 11-07-2013 से 15-07-2013 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 76-ख की उप धारा (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"22	उप अभियंता (सिविल)	तृतीय	9300-34800+4200	18"	

2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"22 क	उप अभियंता (विद्युत)	तृतीय	9300-34800+4200	04	
22 ख	उप अभियंता (यांत्रिकी)	तृतीय	9300-34800+4200	02"	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 26th August 2013

No. F 1-20/2010/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 76-B read with Section 85 the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government,

hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority Sevice (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For serial number 22 Schedule I, the following shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Name of post (2)	Classification (3)	Scale of Pay (4)	Number of Post (5)	Remarks (6)
"22	Sub-Engineer (Civil)	III	9300-34800+4200	18"	

2. After serial number 22 Schedule I, the following shall be added, namely :—

S. No. (1)	Name of post (2)	Classification (3)	Scale of Pay (4)	Number of Post (5)	Remarks (6)
"22 A	Sub Engineer (Electrical)	III	9300-34800+4200	04	
22 B	Sub Engineer (Mechanical)	III	9300-34800+4200	02"	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 04 सितम्बर 2013

क्रमांक/एफ 8-126/35/12/2013.—छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 क्रमांक 23 सन् 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) नियम 11 के उप-नियम (4) में, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "9.00 लाख (नौ लाख रुपए)" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "रु. 20.00 (रु. बीस लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 11 के उप-नियम (9) में, शब्द एवं अंक "रुपए 9.00 लाख" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "रु. 20.00 लाख (रु. बीस लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) नियम 11 के उप नियम (11) के खण्ड (एक) में, शब्द एवं अंक "रुपए 300.00" एवं "रुपए सात लाख" के स्थान पर, क्रमशः शब्द, अंक एवं कोष्ठक "रु. 750.00" एवं "रुपए 20.00 लाख (रु. बीस लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(4) नियम 11 के उप नियम (11) के खण्ड (चार) में, शब्द "पचास हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "रु. 1,00,000.00 (रु. एक लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(5) नियम 11 के उप नियम (11) के खण्ड (पांच) में, शब्द "एक लाख रुपए" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(6) नियम 11 के उप-नियम (11) के खण्ड (आठ) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपए 10.00" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक "रु. 25.00 (रु. पच्चीस)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(7) नियम 11 के उप-नियम (11) के खण्ड (नौ) में, शब्द एवं अंक "रुपए 10.00" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक "रु. 25.00 (रु. पच्चीस)" प्रतिस्थापित किया जाये.

(8) नियम 11 के उप-नियम (11) के खण्ड (चौदह) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(पन्द्रह) जप्त पशुओं के आकस्मिक परिवहन तथा अन्य विविध व्यय हेतु रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख) तक व्यय किया जायेगा.

(सोलह) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के सदस्य तथा कृषिक पशु कल्याण अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2006) तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अंतर्गत पशुओं को पकड़ने तथा जप्त करने के कर्त्तव्य में संलग्न है, की सुरक्षा बीमा, चिकित्सीय व्यय तथा अन्य न्यायालयीन व्यय के लिए, रु. 1.00 लाख (रुपए एक लाख) तक व्यय किया जायेगा.

(सत्रह) कृषिक पशु कल्याण अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को प्रति पशु रु. 100.00 (रुपये एक सौ) न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध होने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रदाय किया जायेगा. यह व्यय रु. 2.00 लाख (रुपये दो लाख) तक सीमित होगा.

(अठारह) प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं जप्त पशुओं के आकस्मिक रखरखाव से संबंधित व्यय के लिए, रु. 2.00 लाख (रुपये दो लाख) तक व्यय किया जायेगा.

(उन्नीस) आयोग के गैर-शासकीय सदस्यों के सत्कार (प्रोटोकॉल) भ्रमण व्ययों के लिए, रु. 2.00 लाख (रुपये दो लाख) तक व्यय किया जावेगा.

No. F 8-126/35/12/2013.- In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Go-Seva Adhiniyam, 2004 (No. 23 of 2004), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,

(1) In sub-rule (4) of rule 11, for the words and figure "Rs. 9.00 Lacs.", the words, figure and parentheses "Rs. 20.00 Lacs (Rs. Twenty Lacs)" shall be substituted.

(2) In sub-rule (9) of rule (11), for the words and figure "Rs. 9.00 Lacs.", the words, figure and parentheses "Rs. 20.00 Lacs (Rs. Twenty Lacs)" shall be substituted.

(3) In clause (i) of sub-rule (11) of rule 11, for the words and figure "Rs. 300.00" and "Rs. Seven Lacs.", the words, figure and parentheses "Rs. 750.00" and "Rs. 20.00 Lacs (Rs. Twenty Lacs)" shall be substituted, respectively.

(4) In clause (iv) of sub-rule (11) of rule 11, for the words "Rs. Fifty Thousand", the wrods, figure and parentheses "Rs. 1,00,000.00 (Rs. One Lac)" shall be substituted.

(5) In clause (v) of sub-rule (11) of rule 11, for the words "Rs. One Lac", the words, figure and parentheses "Rs. 2,00,000.00 (Rs. Two Lacs)" shall be substituted.

(6) In clause (viii) of sub-rule (11) of rule 11, for the word, figure and symbol "Rupees 10.00", the words, figure and parentheses "Rs. 25.00 (Rs. Twenty five)" shall be substituted.

(7) In clause (ix) of sub-rule (11) of rule 11, for the words and figure "Rs. 10.00", the words and figure and parentheses "Rs. 25.00 (Rs. Twenty five)" shall be substituted.

(8) After clause (xiv) of sub-rule (11) of rule 11, the following shall be added, namely :—

"(xx) For contingent transport of seized animals and other miscellaneous expenses, the expenditure shall be incurred upto Rs. 1.00 Lac (Rupees One Lac).

(xvi) For an accidental insurance, medical expenses and other Court expenses of the members of Chhattisgarh Go-Seva and Agricultural Cattle Welfare Officers who are engaged in the duty of catching and seizing animals under the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006) and the prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the expenditure shall be incurred upto Rs. 1.00 lac (Rupees One lac).

(xvii) On registration of case in the court Agricultural Cattle Welfare Officers and Police Officers shall be given Rs. 100.00 (Rupees One Hundred) per animal in the form of incentive. This expenditure shall be limited upto Rs. 2.00 lacs (Rupees Two lacs).

(xviii) For expenses related to Natural Disaster Management and Contingent Maintenance of seized animals, the expenditure shall be incurred upto Rs. 2.00 lacs (Rupees Two Lacs).

(xix) For protocol tour expenses of non-government members of Ayog, the expenditure shall be incurred upto Rs. 2.00 lacs (Rupees Two Lacs)".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक 8639/3106/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) के लिये, श्रीमती रमा सिंह, अधिवक्ता जिन्हें इस विभाग के आदेश क्रमांक 4168/2004/एट्रोसिटी/21-ब/दो दिनांक 09-07-2004 के द्वारा दिनांक 31-07-2005 तक के अवधि के लिये नियुक्त किया गया था जो पदक्रम उत्तरवर्ती (Successer in Office) की नियुक्ति के अभाव में विधि विभाग नियमावली के नियम 18 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में भी उसी हैसियत से कार्यरत हैं, के स्थान पर श्री गौरांगों सिंह को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये, परिवीक्षा पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन-103-विशेष न्यायालय, 0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा, किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक/382/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार भाटापारा	बिलाईगढ़	बेलमुड़ी प.ह.नं. 05	3.270	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जांजगीर-चांपा.	बसंतपुर बैराज निर्माण कार्य.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक/383/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार भाटापारा	बिलाईगढ़	देवरहा प.ह.नं. 04	4.318	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जांजगीर-चांपा.	बसंतपुर बैराज निर्माण कार्य.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक/384/भू-अर्जन/वा./वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार भाटापारा	बिलाईगढ़	मिरचिद प.ह.नं. 04	1.329	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जांजगीर-चांपा.	बसंतपुर बैराज निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	परिसम्पत्ति का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	जंगलपुर प.ह.नं. 58	1 नग कुंआ	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला कबीरधाम.	बरगांव माइनर नहर निर्माण हेतु अर्जन (पूरक)

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	भिंभौरी प.ह.नं. 12	0.121	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला- कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के मुख्य नहर एवं धनगांव वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	भादूटोला प.ह.नं. 13	0.764	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के मुख्य नहर एवं भादूटोला वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	पवनतरा प.ह.नं. 13	0.230	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के मुख्य नहर एवं पवनतरा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

रा. प्र. क्र. 4/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	सिंघनपुरी प.ह.नं. 13	0.077	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के मुख्य नहर एवं सिंघनपुरी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार भाटापारा, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक/भू अर्जन/2012 प्र.क्र. 09 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला बलौदाबाजार भाटापारा

(ख) तहसील बलौदाबाजार

(ग) नगर/ग्राम पनगांव, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल 3.894 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1820/3, 1823/2, 1820/4740/2	0.049
1824	0.040
1831/4	0.077
1831/2	0.008
1825/5, 4738/4	0.049
1830/4	0.028
1830/5	0.004
1825/2, 4738/2	0.060
2198	0.069
2184	0.283
2186	0.008
2195/3, 2196	0.101
2213	0.004
2211/7	0.012
2221/1	0.089
2224/3, 2226/2	0.203
2230	0.324
1820/1क, 1823/1क, 1820/4740/1क	0.466
1832/[illegible]	0.008
1831/3	0.093
1831/1	0.202
1830/1	0.045
1830/2	0.012
1825/1, 4738/1	0.174
1825/3, 4738/3	0.065
2199	0.101
2197	0.101
2195/2	0.069
2195/1, 2195/4	0.235
2211/9	0.008
2224/6	0.218
2224/2, 2226/1	0.385
2227, 2228	0.304
योग 33	3.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 3059/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला धमतरी

(ख) तहसील मगरलोड

(ग) नगर/ग्राम-कुल्हाड़ीकोट, प.ह.नं. 48

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215	0.19
217	0.20
218	0.32
194	0.14
219	0.10
190	0.19
योग 6	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 3061/अ/82/वर्ष 2012-13/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-परसाबुड़ा, प.ह.नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.06
45	0.07
50	0.42
26	0.12
68	0.03
25	0.02
24	0.23
23	0.02
77	0.09
75	0.15
76/1	0.07
79	0.24
78	0.03
239	0.45
योग 14	2.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक/622/प्र.क्र. 5 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-करेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	744/2	0.33
योग	1	0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक/624/प्र.क्र. 4 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला दुर्ग
- (ख) तहसील पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	699	0.34
	666	0.53
	667	0.25
योग	3	1.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक/625A/प्र.क्र. 7 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-ओदरागहन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	13	0.11
	14	0.08
	31	0.09
	33	0.03
योग	4	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम तिफरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 5.88 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
155/1	0.03
155/2	0.09
161/1, 161/3	0.40
1224/1	0.09
1224/2	0.09
153/2, 154/2	0.39
154/3	0.17
154/1	0.73
153/1	0.02
1235	0.09
1236/1, 1236/2	0.29
1239/2	0.21
12/8	0.58
12/9	0.31
1285/1, 1285/2	0.29
1287	0.23
1288	0.13
1289	0.02
1286/1	0.04
1286/2	0.20
1354/2	0.32
1286/3	0.08
1237	0.15
1238	0.13
1239/1	0.43
1355/3, 1355/9	0.31
1355/30	0.06
योग	5.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर, रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 200 से औद्योगिक क्षेत्र तिफरा तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तोरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21½ एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1096	0.06½

(1)	(2)
1098	0.15
योग	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेलवे ओवरब्रीज निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-महमंद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1082	0.45
योग	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेलवे ओवरब्रीज निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-कटसीरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2/1	1.83
2/2	0.20
18/7	0.23
18/3	0.20
18/2	0.20
18/8	0.23
19	1.36
20	0.18
योग	4.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटसीरा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ 82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला कोरबा
- (ख) तहसील पाली
- (ग) नगर/ग्राम नुनेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.40 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
152/107/1	0.40
योग	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पाली-हरदीबाजार सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक/130/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शामतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
738/3	0.01
747	0.05
748	0.10
746	0.04
745	0.07
744	0.07
706	0.12
700	0.01
703	0.03
योग	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक/133/भू अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हनपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364	0.17
365	0.25
366	0.17
296	0.03
283	0.05
284	0.10
282	0.26
285	0.14
258/1	0.18
258/2	0.07
258/3	0.08
256	0.01
243	0.01
244	0.12
245	0.25
252	0.12
130	0.01
253	0.11
288	0.11
309	0.05
328	0.11
310	0.05
318	0.26
319	0.37
321/2	0.10
322	0.06
323	0.11
325	0.30
455	0.17
458/1	0.04
486	0.21
487	0.11
488	0.24
129	0.24
126	0.07
124	0.11
123	0.13
122	0.06
54	0.20
53	0.20
50	0.25
30	0.27
29	0.17
25	0.25
22	0.15
21	0.04
33	0.06
34	0.02
55/1	0.17
55/2	0.14
55/3	0.16
458/2	0.21
योग	7.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./26/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-भूमिया, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
122/1	0.040

खसरा क्रमांक (1)	(2)
79/1	0.040
79/2	0.057
78/10	0.037
78/11	0.040
78/2	0.081
78/1	0.028
78/4	0.016
78/3	0.032
72	0.133
70/2	0.016
78/8	0.030
योग	0.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण भूमिया वितरक नहर के भूमिया टेल माइनर के निर्माण हेतु भू अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
 (क) जिला रायपुर
 (ख) तहसील रायपुर
 (ग) नगर/ग्राम- तेन्दुआ, प.ह.नं. 32
 (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.128 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
384/19	0.056
384/37	0.016
384/39	0.024
384/40	0.032
योग 4	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-हीरापुर-तेन्दुआ-गुमा मार्ग लंबाई 4.10 कि.मी. का निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक 348/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 09/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला रायपुर
 (ख) तहसील आरंग
 (ग) नगर/ग्राम-कथाबांधा, प.ह.नं. 71/16
 (घ) लगभग क्षेत्रफल 39.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3	1.31
7	0.05
12	0.46
14	0.41
15	0.28
20	0.09
21	2.07
22	0.46
25	0.19
27	0.07
29	0.09
33	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
35	0.07	336	0.14
38	0.05	376	0.97
42/2	0.56	377	0.35
43	0.33	386	0.11
44	0.09	391	0.14
49	0.25	398	0.09
50	0.40	401	0.17
51	0.43	403	0.08
52	0.27	473	0.25
57	0.37	482	0.27
66	0.13	494	0.12
67	0.10	508	0.04
79	0.31	509	0.04
85	0.96	515	0.08
87	0.21	517	0.17
89	0.52	519	0.33
90	0.13	521	0.34
92	0.55	523	0.06
94	0.08	526	0.20
98	0.32	530	0.10
99	0.34	531	0.46
101	0.55	532	0.12
104	0.54	533	0.16
112	0.30	556	0.22
113	0.11	558	0.06
117	0.17	559	0.07
124	0.07	560	0.05
132	0.39	562	0.02
137	0.26	564	0.01
155	0.53	566	2.46
172	1.47	584/1	0.30
181	3.28	596	1.06
194	0.19	598/1	0.30
199	0.50	607	0.22
244/3	0.19	609	0.30
267	0.34	628	0.13
276	1.03	651	0.25
278	0.22	652	0.30
291	0.43	672/1	0.65
305	0.08	688/1	0.05
319	0.58	688/2	0.11
320/1	0.24	688/3	0.04
320/2	0.04	688/4	0.05
320/3	0.02	689	0.16
320/4	0.08	693	0.15
331	0.27	694/1	0.14
332	0.14	707	0.09
335	0.09	720	0.12

(1)	(2)
742/1	0.15
756/4	0.26
756/5	0.21
759	0.26
775	0.12
812	0.18
820	0.12
821	0.17
822	0.18
830/1	0.08
832/1	0.06
835/1	0.20
835/2	0.41
884/1	0.03
889/1	0.21
899/1	0.17
945/2	0.09
949	0.19
951	0.39
959/1	0.03
979/1	0.22
1014/1	0.07
योग 130	39.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनान्तर्गत योजना क्षेत्र एवं रोड हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

०

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक 349/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 19/अ. 82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील आरंग
- (ग) नगर/ग्राम बरौदा, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 11.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1198	0.01
1202	0.37
1269	0.67
1270	0.10
1284	0.20
1285	0.15
1286	0.01
1289	0.07
1292	0.22
1293	0.06
1294	0.93
1299	0.16
1300	0.10
1301	0.62
1302	0.11
1303	0.11
1306	0.03
1307	0.05
1308	0.04
1310	0.02
1312	0.11
1315	0.36
1316	0.21
1317	0.14
1318	0.14
1319	1.95
1321	0.09
1322	0.20
1323	0.16
1324	0.01
1327	0.08
1328	0.38
1329	0.22
1330	0.12
1331	0.23
1332	0.75

(1)	(2)
1333	0.96
1334	0.34
1337	0.42
1339	0.10
1340	0.16
1341	0.03
1342	0.40
1363	0.02
1364	0.05
योग 45	11.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनान्तर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (D.V.O.R.) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक 350/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 07/अ. 82 वर्ष 2012 13.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला रायपुर
- (ख) तहसील आरंग
- (ग) नगर/ग्राम नवागांव, प.ह.नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 8.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3/2	0.02
3/3	0.02
3/4	0.02
3/6	0.02
3/7	0.02
3/9	0.02
8/2	0.02
8/3	0.02
8/5	0.02
8/6	0.02
8/7	0.02
11	0.18
14	0.54
18	0.13
41	0.36
42	0.41
43	0.66
44	0.67
45	0.98
63	0.08
66	0.32
67	0.30
90	0.67
104	0.24
129	0.02
132	0.01
174/2	0.04
175	0.12
176	0.16
181/1	0.06
181/2	0.05
183	0.02
184	0.05
185	0.06
187	0.04
249	0.26
250/1	0.96
394	0.04
410/696	0.13
512	0.39
योग 40	8.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना में लेयर-1 में एम्यूजमेंट पार्क, शिक्षण, आमोद प्रमोद तथा आवासीय प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी 8/32/भा.अधि./2013-14/3970.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी 8/भा.अधि./2012-13/2171 रायपुर, दिनांक 01 07/ 2013 द्वारा श्री रणवीर शर्मा, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बिलासपुर का पत्र क्रमांक ज्ञापन क्रमांक/4056/वित्त-1/2013 बिलासपुर, दिनांक 07-09-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, बिलासपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री एन. के. टेकाम, अपर कलेक्टर, बिलासपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री रणवीर शर्मा, सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्रशिक्षण हेतु भारमुक्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री एन. के. टेकाम, अपर कलेक्टर, बिलासपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/बी 8/32/भा.अधि./2013-14/3992.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7574 दिनांक 17-02-2011 रायपुर द्वारा श्री टी. आर. घृतलहरे, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति, भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भा[illegible] का पत्र क्रमांक/257/स्टेनो/2013 बलौदाबाजार, दिनांक 20-08-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, भटगांव में भारसाधक [illegible]कारी नियुक्त करने हेतु श्री महेश राम ताण्डे, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी बिलाईगढ़ का नाम [illegible]वित किया गया है.

[illegible]सगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त [illegible]ना का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री टी. आर. घृतलहरे, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री महेश राम ताण्डे, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक परियोजना अधिकारी, बिलाईगढ़ को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

"बिजनेस पोस्ट" के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 -छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30 5-2001."



"पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013— आश्विन 5, शक 1935

भाग 2

निरंक